भारतीय प्रेस कानून

अभिव्यक्ति और वाक् के स्वतंत्रता

अनुच्छेद 19 (2)

प्रेस पर प्रतिबन्ध

- संविधान के अनुच्छेद 19 (1) क में सभी नागरिकों को 'वाक् और अभिव्यक्ति' की स्वतंत्रता दी गई है। यह आज़ादी पूर्ण, स्वच्छंद और अर्निबंधित नहीं है।
- संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के अनुसार किसी विधान के आधार पर निम्नलिखित आधारों पर अभिव्यक्ति की आज़ादी पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
- 1 भारत की प्रभुता या अखंडता के हित में
- 2 राज्य की सुरक्षा के हित में
- 3. विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण मैत्रीपूर्ण सम्बंधों के हित में
- 4 लोक व्यवस्था के हित में
- 5 शिष्टाचार या सदाचार के हित में
- 6 न्यायालय की अवमानना
- 7 मानहानि के सम्बंध में
- 8 अपराध उद्दीपन के सम्बंध में
- ये सभी प्रतिबंध मनमाने ढंग से लागू नहीं किए जा सकते। इन्हें तभी लागू किया जा सकता है कि जब वे अनुच्छेद 19 (2) के अंतर्गत आते हों। न्यायालय निर्णय कर सकता है कि ये प्रतिबंध युक्तियुक्त हैं या नहीं।

प्रेस पर प्रतिबन्ध

- कोई भी आज़ादी पूर्ण नहीं होती । प्रेस का अलग से कोई भी अभिव्यक्ति की आज़ादी प्राप्त नहीं है। संविधान सभा में अम्बेडकर ने कहा था।
- " प्रेस का अधिकार कोई ऐसा अधिकार नहीं है जो किसी नागरिक को उसकी व्यक्तिगत क्षमता में नहीं प्रदान किया जा सकता है। प्रेस का सम्पादक या उसका प्रबंधक जब भी समाचार पत्रों के लिए कुछ लिखता है तो इसे वह एक नागरिक की हैसियत से उपलब्ध अधिकार का प्रयोग करते हुए कहता है।
- कौन प्रेस की आज़ादी का लाभ उठा सकते हैं?
- क– धार्मिक समुदाय
- ख– कम्पनियां और अन्य निकाय
- सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक बार यह स्पष्ट किया है कि प्रेस की आज़ादी मात्र देश के सभी नागरिकों को ही प्राप्त है अन्य कोई भी संगठन इस अधिकार की मांग नहीं कर सकता।
- सशस्त्र सेनाओं के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि संसद इस पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है।
- प्रश्न यह है कि क्या कोई धार्मिक समुदाय इस अधिकार की मांग कर सकता है?
- सर्वोच्च न्यायालय ने 'आचार्य महराजश्री नरेंद्र प्रसाद जी आनंद प्रसाद जी महाराज बनाम गुजरात राज्य' के मुकदमे में न्यायालय ने साफ किया कि यह अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है किसी धार्मिक सम्प्रदाय को इसकी मांग का अधिकार नहीं है।

प्रेस पर प्रतिबन्ध

- यद्यपि किसी कम्पनी को अभिव्यक्ति की आज़ादी उसी प्रकार उपलब्ध नहीं है जिस प्रकार से किसी नागरिक को।
- शेयरधारक होने का अर्थ यह नहीं है कि वह अपने अभिव्यक्ति और वाक् की आज़ादी को खो चुका है। शेयरधारक को यह अधिकार स्वतः ही प्राप्त हैं।
- किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध मात्र राज्य ही लगा सकता है कोई संस्थान नहीं।

प्रेस की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध के आधार

- 1 प्रतिबंध को युक्तियुक्त सिद्ध करना राज्य की जिम्मेदारी ––धर्मदत्त बनाम भारत संघ
- 2 इसी मुकदमें में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की आज़ादी मात्र आज़ादी नहीं है बल्कि यह एक अधिकार है। जिसमें राज्य की दखलअंदाज़ी उचित नहीं है।
- 3 यह विचारों के प्रचार प्रसार का ही अधिकार नहीं है बल्कि अपनी आलोचना का उत्तर देने का भी अधिकार है। मनुभाई डी. षाह बनाम जीवन बीमा निगम

प्रेस पर प्रतिबन्ध

- विचारों के प्रचार–प्रसार का अधिकार
- वायु तंरगे देश की सम्पत्ति अतः सभी को पूर्ण अभिव्यक्ति का अधिकार–
- सरकार की आलोचना पर प्रतिबंध ओडिसी कम्यूनिकेशन लिमिटेड बनाम लोकविदायन संगठन
- सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दो प्रश्न थे
- 1 क्या निजी रेडियो स्टेशन स्थापित करना अभिव्यक्ति की आज़ादी का हिस्सा है?
- 2 क्या दूरदर्शन पर फिल्म का प्रदर्शन अभिव्यक्ति की आज़ादी का हिस्सा है?
- सर्वोच्च न्यायालय ने पहले प्रश्न पर कोई व्यवस्था नहीं दी । परंतु दूसरे प्रश्न के विषय में कहा कि यह अभिव्यक्ति की आज़ादी का हिस्सा है

प्रेस पर प्रतिबन्ध

❖ यूनियन ऑफ इंडिया बनाम सिनेमार्ट फांउडेशन का केस

❖ फिल्म 'बियॉन्ड जिनोसाइड' सन् 1987 में इसे गैर फीचर फिल्म वर्ग में स्वर्ण कमल दिया गया था। परंतु दूरदर्शन ने इस आधार पर दिखाने से मना कर दिया कि इसमें सरकार की आलोचना की गई है।

❖ सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ' अनुच्छेद 19 (क) में दिया गया अभिव्यक्ति का अधिकार अपने विचारों को समाचार पत्र, पत्रिका, या फिल्मों सहित अन्य माध्यमों से स्वयं को अभिव्यक्त करने का अधिकार प्रदान करता है।यदि फिल्म अन्य विधि सम्मत शर्तें पूरी करती है तो उसे दिखाने से इंकार नहीं किया जा सकता।

प्रेस पर प्रतिबन्ध

❖ क– भारत की सम्प्रभुता तथा अखंडता के हित में

इसे संविधान के 16 वें संशोधन के माध्यम से 6 अक्टूबर 1963 को लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था दक्षिण भारत के द्रविड़ कषगम तथा कश्मीर के जनमत संग्रह मोर्चा जैसे विघटनकारी संगठनों पर अंकुश लगाना।

- इसका प्रयोग अपवाद में ही किया गया है।
- ख– राज्य की सुरक्षा के हित में
- राज्य की सुरक्षा के हित में उन सभी प्रकाशनों पर रोक लगाई जा सकती है जो सरकार का हिंसात्मक तरीके से उखाड़ फेंकने के लिए उकसाते हों।

परंतु सरकार की नीतियों की आलोचना करना जनजागरण माना जाएगा।

प्रेस पर प्रतिबन्ध

- प्रेस की आज़ादी प्रतिबंध के तीन की मूल आधार या शर्तें हैं।
- क – प्रतिबंध कानून बना कर लगाया गया हो।
- ख– प्रतिबंध संविधान में वर्णित आधारों पर लगाया गया हो।
- ग– प्रतिबंध युक्तियुक्त हो। इसका अर्थ है कि प्रतिबंध उतना ही लगाया जाना चाहिए जितना कि उचित हो। यदि कोई प्रतिबंध गैर ज़रूरी हो तो न्यायलय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है।
- प्रतिबंध परिस्थितियों के अनुसार पूर्ण भी हो सकता है पर न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकता है।
- प्रतिबंधों में पूर्व अवरोध मान्य नहीं है।
- सरकार संसाधनों की कमी के आधार पर प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध नही लगा सकती।

प्रेस पर प्रतिबन्ध

- कुछ कानूनी उपबंध
- 1 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट1961 धारा (2) तथा (3)
- 2 शासकीय गोपनीयता कानून 1923
- 3 कस्टम्स एक्ट 1962 धारा 11 (2) (अ)

प्रेस पर प्रतिबन्ध

- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संविधान का संरक्षण प्राप्त है।
- यह नागरिकों को लोकतंत्र में भागीदारी का अवसर देता है।
- प्रेस के लिए अलग से किसी भी कानून की आवश्यकता संविधान निर्माताओं ने अनुभव नहीं की थी।
- प्रेस पर प्रतिबंध के आधार के विषय में मुख्य बात यह है कि राज्य को किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने को न्यायोचित सिद्ध करना होगा।
- प्रेस की स्वतंत्रता के दो मुख्य आयाम हैं

1. प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है

2 प्रेस निरंकुश नहीं हो सकती। इसके लिए आचार संहिता की आवश्यकता होती होती है।